न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 157/21 (प्रा0पत्र)
GCMS No. : 2021/384

अनवान्

1. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री हरलाल जाट निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री भगवान लाल पुत्र श्री हरलाल जाट निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।(मृतक के बजाय)

1/1 श्रीमती कन्कु पत्नी भगवानलाल जाट निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

1/2 श्री शंकरलाल पुत्र भगवानलाल जाट निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

1/3 श्री विष्णु पुत्र भगवानलाल जाट निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

1/4 श्री भरत पुत्र भगवानलाल जाट निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

1/5 श्रीमती आशा पुत्र भगवानलाल जाट निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

2. श्रीमती कंकुबाई पुत्री हरलाल जाट पत्नी भैरूलाल जी निवासी आकोदिया खेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती राधा बाई पुत्री हरलाल जाट पत्नी गमेरलाल निवासी पूरिया खेडी हाल निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री लालसिंह पुत्र भेरूसिंह जी राजपुत निवासी जोटजी का खेडा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–
1. श्री हुकमी चन्द सांगावत, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांकः—18.12.2025

प्रार्थी ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

[illegible]
तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बि...
वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर में प्रार्थी एव विपक्षीगण स 1 से 3 ...
खाते में आराजी न 211 रकबा 1 बिघा 18 बिस्वा आराजी न 221 रकब...
6 बिस्वा आरजी न 1144 रकबा 19 बिस्वा आराजी न 1856/2/...
बिस्वा आराजी न 2927 रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा आराजी न 2940 रकब...
एव आराजी न 2942 रकबा 2 बिघा 5 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 10 ...
बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे विरासत से हरलाल पिता ...
के बजाय रामचन्द, भगवानलाल, कंकुबाई, राधाबाई पिता हरलाल ...
अंकित है किन्तु उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा प्रार्थी के एव 1/2
विपक्षीगण सं 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य में है, विपक्षीगण स 2 व 3 का
आराजीयात में कोई हक हिस्सा नहीं है न ही उनका उक्त आराजीयात पर ...
है।

2. यह कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण सं 1 की स्वामित्व आधिपत्य की है तथा विपक्षीगण सं 2 व 3 मृतक हरलाल की पुत्रिया ... शादीशुदा हैं तथा उनके ससुराल में अपने परिवार सहित आबाद है उनका प्रा... की कलम न 2 न में वर्णित आराजीयात में कोई हक एव हिस्सा नही है ... सेवन से विरासत में उक्त आराजीयात में उनका नाम अंकित हो गया है। यह प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में विपक्षीगण संख्या 2 व 3 का हक एवं हिस्सा नहीं ... से एवं प्रार्थी एव विपक्षीगण संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा होने से एव ... हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण मौके पर अलग–अलग काबिज होने से ... आराजीयात से विपक्षीगण संख्या 2 व 3 का राजस्व रेकर्ड से नाम हटाया ... आवश्यक है तथा उक्त आराजीयात में प्रार्थी को 1/2 हिस्से का तथा विपक्षी... संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्य... तथा उक्त राजस्व रेकर्ड में भी इसी अनुसार प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी... संख्या 1 का 1/2 हिस्सा अंकित कराया जाना आवश्यक है।

3. यह कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं विपक्षीगण संख्या 1 ... 1/2 हिस्सा है तथा मौके पर दोनों ही पक्ष हिस्से अनुसार अलग–अलग का... है किन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं विपक्षीगण संख्या 1 से 3 का संयुक्त नाम ... हाने से विपक्षीगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी देते है ... प्रार्थनाग्रस्त भूमि आराजी उनके नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित होने से वे ... की कब्जेशुदा आराजी को अन्य व्यक्तियों को रहन बह बक्शीश आदि तरिके ... हस्तान्तरित कर देंगे तथा प्रार्थी को अपनी आराजीयात से बेदखल कर देंगे जि... विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 / 1 से 1 / 5, 3 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 4 का जवाब का अधिकार बंद किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपना हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विपक्षी संख्या 5 को विक्रय किये जाने से विपक्षी संख्या 5 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र कि कलम न 2 में आराजीयात स्थित होना स्वीकार है। शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी ने इस कलम में अंकित किया कि उक्त भूमि में उसका 1 / 2 हिस्सा है एवं विपक्षी संख्या 1 का 1 / 2 हिस्सा है जो गलत है। उक्त भूमि की राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार विपक्षी श्रीमती ककुबाई पुत्री हरलाल जाट खातेदार काश्तकार थी और उसे अपने खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि अपनी इच्छा अनुसार रहन बेह बक्षीश आदि तरिकों से हस्तान्तरित करने का पुर्ण अधिकार प्राप्त होने से विपक्षी ककुबाई ने उक्त भूमि मुझ विपक्षी सं 5 को दिनाक 23.04.2014 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से कंकुबाई के हक हिस्से कब्जे की भूमि पर मुझ विपक्षी संख्या 5 का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त भूमि मे विपक्षी संख्या 2 का हक हिस्सा नहीं होने का कथन प्रार्थी ने गलत अंकित किया है।

यह कि उक्त भूमि ककुबाई के पिता हरलाल जी के खातेदारी हक अधिकारी एवं आधिपत्य की थी और उक्त भूमि में कंकुबाई का जन्म से ही हक अधिकार, स्वत्व हित अधिकार एवं आधिपत्य हो उक्त भूमि हरलाल जी के निधन के बाद विरासत से प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1, 2, 3 के नाम खातेदारी हक से अंकित हुई और उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 2 खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 211, 221, 1144, 1856 / 2 / ख, 2927, 2940, 2942 किता 7 रकबा 10 बिघा 4 बिस्वा का 1 / 4 हिस्सा एवं आराजी न. 2410 रकबा 3 बिघा 14 बिस्वा का 1 / 12 हिस्सा 5,00,000 / – रूपया के प्रतिफल में कंकुबाई ने मुझ विपक्षी संख्या 5 को रजिस्टर्ड विय पत्र दिनांक 23.04.2014 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से उक्त भूमि पर विक्रेता कंकुबाई के हक हिस्से कब्जे की भूमि पर मुझ विपक्षी सं. 5 का कब्जा काश्त उपयोग चला आ रहा है प्रार्थी ने इस कलम में यह कथन गलत अंकित किया है कि विपक्षी संख्या 2 की शादी करा दिया जाने से वह अपने ससुराल में आबाद है और उसका इस भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं हो एवं विरासत से नाम गलत अंकित हुआ हो। प्रार्थी द्वारा चाही गई प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 से 7 में वर्णित दाद प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

किये-

1 RRT 2010(2) BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

DUNGAR RAM

7. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

I. **प्रथम दृष्टया मामला :–** प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूलवाद के साथ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज से पाया कि जमाबंदी संवत् 2050–53 की खाता 566 में प्रार्थनाग्रस्त भूमि हरलाल पिता भेरा जाट सा.देह खातेदार के जो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता है। श्री हरलाल की पश्चात नामान्तरण संख्या 3811 दिनांक 10.04.2014 विरासत से प्रार्थी हरलाल के बजाय रामचन्द्र(प्रार्थी), भगवानलाल (विपक्षी संख्या 1), ककु संख्या 2), राधाबाई (विपक्षी संख्या 3) पिता हरलाल के नाम दर्ज स्वीकृति हुई। प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रार्थनाग्र रेकॉडेड खातेदार है। विपक्षी संख्या 5 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि 2014 से विपक्षी संख्या 2 का हिस्सा क्रय किया है। विपक्षी संख प्रार्थनाग्रस्त भूमि के हिस्से को अभिलिखत खातेदार से रजिस्टर्ड विक्रय 23.04.2014 से क्रय किया है जिससे विपक्षी संख्या 5 का प्रार्थनाग्र उतना ही हित प्रभावित है जितना विपक्षी संख्या 2 का था। पत्रावली प वर्तमान रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 से 3 रेकॉडेड खातेदार तथा विपक्षी द्वारा अभिलिखित खातेदार से प्रार्थनाग्रस्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया है। रेकॉडेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं सकती। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है

II. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

III. **सुविधा संतुलन :–**प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण द्वारा मूलवाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान क अधिनियम का पेश कर बताया कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा

भीण्डर की आराजी न 211, 221, 1144, 1856/2/ख, 2927, 2940, 2942 किता 7 रकबा 10 बिघा 4 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विरासत से हरलाल पिता भेरा जाट के बजाय रामचन्द्र, भगवानलाल, कंकुबाई, रूपाबाई पिता हरलाल के नाम अंकित हुई किन्तु उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा प्रार्थी के एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 के स्वामित्व में है विपक्षी संख्या 2, 3 का उक्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा नहीं है। यह कि विपक्षी संख्या 1 से 3 का प्रार्थनाग्रस्त भूमि को हस्तान्तरित करने एवं प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश कर बताया कि उक्त भूमि कंकुबाई के पिता हरलाल जी के खातेदारी हक अधिकारी एवं आधिपत्य की थी और उक्त भूमि में कंकुबाई का जन्म से ही हक अधिकार, स्वत्व हित अधिकार एवं आधिपत्य हो उक्त भूमि हरलाल जी के निधन के बाद विरासत से प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1, 2, 3 के नाम खातेदारी हक से अंकित हुई और उक्त भूमि की विपक्षी संख्या 2 खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थनाग्रस्त आराजी न 211, 221, 1144, 1856/2/ख, 2927, 2940, 2942 किता 7 रकबा 10 बिघा 4 बिस्वा का 1/4 हिस्सा एवं आराजी न 2410 रकबा 3 बिघा 14 बिस्वा का 1/12 हिस्सा 5,00,000/- रूपया के प्रतिफल में कंकुबाई ने मुझ विपक्षी संख्या 5 को रजिस्टर्ड विय पत्र दिनांक 23.04.2014 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से उक्त भूमि पर विक्रेता कंकुबाई के हक हिस्से कब्जे की भूमि पर मुझ विपक्षी सं. 5 का कब्जा काश्त उपयोग चला आ रहा है प्रार्थी ने यह कथन गलत अंकित किया है कि विपक्षी संख्या 2 की शादी करा दिया जाने से वह अपने ससुराल में आबाद है और उसका इस भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं हो एवं विरासत से नाम गलत अंकित हुआ हो तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 रेकॉडेड खातेदार है। विपक्षी संख्या 5 द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के हिस्से को अभिलिखत खातेदार से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.04.2014 से क्रय किया है। जिससे विपक्षी संख्या 5 का प्रार्थनाग्रस्त भूमि में उतना ही हित प्रभावित है जितना विपक्षी संख्या 2 का था। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 से 3 रेकॉडेड खातेदार तथा विपक्षी संख्या 5 द्वारा अभिलिखित खातेदार से प्रार्थनाग्रस्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया है। रेकॉडेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस संबंध में जब हम न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) RRT 1358 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJER DHIRAJ VS. JAGDISH & ORS. का पेश किया गया जो इस प्रकरण पर हुबहु चस्पा होता है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया है कि खातेदार ने अपना

हिस्सा विपक्षी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान किया है व
जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया जा सकता। विपक्षी
वर्तमान राजस्व रेकर्ड में रेकॉडेड खातेदार हैं। रेकॉडेड खातेदार
निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्यायिक
2018(1) RRT 692 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJER P
CHANDRA PRAKASH & ANR. DATE 14.07.2017 व 2. 2018(2) RRT 1275
REVENUE FOR RAJASTHAN AJER BHAGIRATH VS RAMCHANDRA &
19.06.2018 को देखते है तो पाते है कि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट
रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की
अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं
प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु
विरूद्ध निर्णित किये गये। अन्य बिन्दुओं को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के
तय किया जायेगा। इस पत्रावली में हमें निर्णय के लिये तीनो बिन्दु प्रथम
मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओ के आधार पर
करना हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति
प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जा चुके है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्त
अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।